

# पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

(Application form for Revaluation of the Answer Copy/Copies Board Regulation 119, 148)

प्रति,

दिनांक : / /200

सचिव,

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

पेंशन बाड़ा, रायपुर

1. नाम .....
2. अनुक्रमांक (Roll No.) .....
3. परीक्षा का नाम .....
4. मुख्य/पूरक .....
5. परीक्षा वर्ष .....
6. केन्द्र का नाम .....

विषय : पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र ।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक/ / /पुनर्गणना सेल/ 2009 रायपुर, दिनांक / /2009

के माध्यम से प्राप्त उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति ।

महोदय,

मैंने उत्तरपुस्तिका दिखाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । मुझे उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति संस्था के प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हुई है । मैं अपनी उत्तरपुस्तिका को देखने के बाद मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हूँ । मैं अपनी उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराना चाहता/चाहती हूँ ।

इस हेतु प्रति विषय रुपये 500/- की दर से कुल रुपये ..... राशि का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..... बैंक का नाम..... संलग्न है ।

सं.क्र.	विषय	प्राप्तांक	पुनर्गणना उपरांत प्राप्तांक में परिवर्तन यदि हुआ है तो प्राप्त अंक

टीप : अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : / /200

पता .....

तहसील.....पो.ऑफिस.....

जिला.....पिनकोड.....(छ.ग.)

## संस्था/केन्द्र के प्राचार्य का प्रमाणीकरण

परीक्षार्थी श्री कु.....कक्षा.....इस संस्था/केन्द्र का नियमित स्वाध्यायी छात्र/छात्रा रहा/रही हैं । मण्डल के प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध करा दी गई है । छात्र का पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं ।

प्राचार्य

हस्ताक्षर एवं संस्था की मुद्रा

## उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया

01. अभ्यर्थी को निर्धारित आवेदन पत्र में केवल उन्हीं उत्तर पुस्तिकाओं का आवेदन कर सकेगा। जिन उत्तरपुस्तिकाओं का अवलोकन करने हेतु आवेदन परीक्षार्थी ने दिया था। उत्तरपुस्तिकायें अवलोकन हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्था में भेजी जावेगी। उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति संस्था में प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर सशुल्क आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के बाद आवेदन ग्राह्य नहीं किये जायेंगे।
02. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु रु. 500/- पांच सौ रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित की जाती है, शुल्क का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का जो सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम देय हो मान्य किया जावेगा।
03. प्रत्येक उत्तरपुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन तीन अलग-अलग मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जावेगा। तीनों पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों का औसत निकाला जावेगा। यह औसत यदि पूर्व में प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से अधिक होने पर ही पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अंकों में वृद्धि मान्य की जावेगी।
04. पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अंकों में वृद्धि होती है तो पुनर्गणना, उत्तरपुस्तिका का अवलोकन तथा पुनर्मूल्यांकन के लिये दी गई समस्त फीस परीक्षार्थी को वापिस कर दी जावेगी तथा पूर्व में जारी की गयी अंकसूची मण्डल कार्यालय में जमा करना होगा। मण्डल द्वारा उसके स्थान पर संशोधित अंकसूची निर्गमित करेगा। पुनर्मूल्यांकन में अंकों में परिवर्तन की सूचना मण्डल द्वारा छात्र को दी जावेगी।

सचिव  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल  
रायपुर